न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला– टोंक

पीठासीन अधिकारी शिप्रा शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रा0पत्र संख्या–80 A/2019

प्रा0पत्र प्रस्तुति दिनांक–22.08.2019

उनवान

गोमा पत्नि लाडु जाति बागरिया निवासी ग्राम हाजीपुरा तहसील पीपलू जिला–टोंक

(प्रार्थीया)

बनाम

1. फूला पत्नि रामू जाति बागरिया निवासी ग्राम हाजीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक
2. तहसीलदार, पीपलू जिला–टोंक

(अप्रार्थीगण)

अधिवक्ता प्रार्थीयॉ–श्री विवेक चौधरी

अधिवक्ता अप्रार्थीः–श्री कमलेश गुर्जर

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

निर्णय दिनांकः–13.09.2019

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 239/2 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा वाकै ग्राम हाजीपुरा प्रार्थीया की खातेदारी में हैं तथा ख0न0 239/3 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा वाकै ग्राम हाजीपुरा अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी में अंकित हैं।

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू जिला टोंक

उक्त वर्णित आराजीयात पूर्व में प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। जिसका विभाजन होने के उपरान्त अलग–अलग राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई हैं। राजस्व रिकॉर्ड में जाति के रूप में बावरीया दर्ज कर रखा हैं जो गलत हैं। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी 01 बागरिया हैं। जिसकी दुरूस्ती हेतु प्रार्थीया ने आवेदन प्रस्तुत किया हैं।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई तथा अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री कमलेश गुर्जर ने वकालत नामा पेश किया साथ ही इकबाली जवाब दावा पेश किया तथा रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की।

हमने बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि प्रार्थीया व अप्रार्थी के हुए राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन को दुरूस्त किया जावे। प्राथीया ने आवेदन के समर्थन में राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड की प्रतियॉ तथा अपना शपथ–पत्र प्रस्तुत किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् व शपथ–पत्र का अवलोकन किया। इकबाली जवाब अप्रार्थीगण व प्राथीया के शपथ–पत्र के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज स्वीकार किया जाकर भूमि आराजी ख0न0 239/2 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा व ख0न0 239/3 रकबा 04 बीघा 05 वाके ग्राम हाजीपुरा उर्फ इलाहीपुरा तहसील पीपलू के राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 01 की जाति बावरीया के स्थान पर बागरिया दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार पीपलू आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करें। तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 13.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(शिप्रा शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2019.12.10 15:56:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: